विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–14795/सात–लाई0/व्यवस्थापन/2017–18/देहरादून:दिनांक मार्च 30, 2017 के क्रम मे वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह अप्रैल 2017 के व्यवस्थापन में जनपद बागेश्वर की 07 मदिरा दुकानें पूर्ण राजस्व पर व्यवस्थापित नही हो पाई है,जिनका विवरण निम्नवत है।

क0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	माह अप्रैल 2017 हेतु निर्धारित राजस्व	माह अप्रैल 2017 हेतु लाई0फीस	माह अप्रैल 2017 हेतु निर्धारित अधिभार
1	2	3	4	6	7
1	बागेश्वर	विदेशी मदिरा	7422332	594000	6828332
2	गरूड	विदेशी मदिरा	3624052	290000	3334052
3	भराडी	विदेशी मदिरा	2033394	163000	1870394
4	बागेश्वर	देशी मदिरा	2678264	214000	2464264
5	गरूड	देशी मदिरा	3892583	311000	3581583
6	काफलीगैर	देशी मदिरा	719566	58000	661566
7	कन्धार	देशी मदिरा	460137	37000	423137

जो व्यक्ति उपरोक्त दुकानों को पूर्ण राजस्व पर अथवा दैनिक आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशो के अनुरूप संचालित करने का इच्छुक हो वह अपना ऑफर/आवेदन कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर में दिनांक 23.04.2017 को अपराहन 2 .00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है । विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर, के कार्यालय अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक बागेश्वर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । अधिकतम राजस्व वाले ऑफर/आवेदन को दुकान दैनिक आधार पर संचालित करने हेतु चयनित किया जायेगा। दुकान चलाने की अन्य शर्तें भी आवेदक को पूर्ण करनी होगी।

19/04/17

जिला आबकारी अधिकारी
बागेश्वर।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर ।

संख्या 53 /पांच–आबकारी/व्यवस्थापन/2017–18/दिनांक 19, अप्रैल 2017

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यकीय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग/कुमायूॅ मण्डल, हल्द्वानी।
3. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाईम्स बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र मे उत्तराखण्ड, संस्करण मे शासकीय दर पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बागेश्वर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. आबकारी निरीक्षक बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त दुकानों को व्यवस्थापित कराने हेतु प्रचार प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिलाधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी बागेश्वर व जि0आब0अधि0 कार्यालय बागेश्वर।
6. सूचना एवं विज्ञान केन्द्र बागेश्वर को अपलोड करने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को उचित दरो पर छपवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बागेश्वर।